रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245491
CG-DL-E-27042023-245491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1860] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945
No. 1860] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/ VAISAKHA 7, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2023

का.आ. 1948(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 5158(अ), तारीख 04 नवम्बर, 2022 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 04 नवम्बर, 2022 में प्रकाशित उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, तारीख 10 दिसम्बर, 2022 ''द टाईम्स ऑफ इण्डिया'', और ''दैनिक पुण्यनगरी'', तारीख 10 दिसम्बर, 2022 में प्रकाशित किया गया ;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रुप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिले का नामः पालघर

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	हिस्सा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टर में	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	वसई	जूचंद्र	16	8/ए	निजी	खेती	0.0080	दाजी रामजी पाटील गजानन दाजी पाटील वत्सला अमर पाटील मनोहर दाजी पाटील
			16	11ए	निजी	खेती	0.0130	नरेंद्र कालया किणी हिरुबाई पांडूरंग भोईर सुकरीबाई रामेश्वर पाटील

[फा. सं. 2023/एलएमएल–II/12/1/डब्ल्यू सी/2397]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2023

S.O. 1948(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 5158 (E), dated the 04th November, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 04th November, 2022 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India”, dated the 10th December, 2022 and “Dainik Punyanagari”, dated the 10th December, 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

Name of the District: Palghar.

Serial Number	**Name of Taluka**	**Name of Village**	**Survey Number**	**Hissa Number**	**Type of land**	**Nature of land**	**Area in hectares**	**Name of the land Owners / Interested persons**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	Vasai	Juchandra	16	8/A	Private	Agriculture	0.0080	Daji Ramji Patil, Gajanan Daji Patil, Vatsala Amar Patil, Manohar Daji Patil.
			16	11A	Private	Agriculture	0.0130	Narendra Kalya Kini, Hirubai Pandurang Bhoir, Sukaribai Rameshwar Patil.

[F. No. 2023/LML-II/12/1/WC/2397]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (Land and Amenities)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA